हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की वर्ष, 2012 की छठी बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 17 सितम्बर, 2012 को पूर्वान्ह 11–30 बजे आचार्य ए.डी.एन. बाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए :–

1– श्री के. संजयमूर्ति
2– डॉ. दिनकर बुराठोकी
3– प्रो. ओ.पी. चौहान
4– प्रो. श्रीराम शर्मा
5– डॉ. बी.एल. विन्टा
6– डॉ.(श्रीमती) उमा वर्मा
7– प्रो. सुरेश कुमार
8– श्री कृपाल परमार
9– श्री देवी राम वर्मा
10–श्री सुरेश भारद्वाज
11–डॉ. धनी राम शर्मा
12–श्री एन.एस. बिष्ट
13–डॉ. के.पी. ठाकुर
14– श्री सी.पी. वर्मा –कुलसचिव

सदस्य–सचिव

<u>मद संख्याः1</u> : कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वर्ष 2012 की छठी बैठक में, मैं आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूं ।

मैं श्री देवी राम वर्मा का कार्यकारिणी परिषद के सदस्य (गैर शिक्षक कर्मचारी संवर्ग) के रूप में निर्वाचित होने पर स्वागत करता हूं वहीं निवर्तमान सदस्य चौ0 वरयाम सिंह बैन्स का कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में शैक्षणिक और प्रशासनिक निर्णयों को लेने में उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं ।

मैं परिषद को सूचित करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर की अनुपूरक परीक्षा समयबद्ध आरम्भ की जाएंगी तथा स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं 16 नवम्बर से आरम्भ हो रही हैं ।

मैं परिषद को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय ने दिनांक 12 सितम्बर, 2012 से आरम्भ किए गए शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया स्थगित कर दी है ।

इस अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :–

- दिनांक 01–09–2012 को अकादमिक स्टाफ कालेज में शारीरिक शिक्षा पर पुनःश्चर्या कार्यक्रम में समापन समारोह के अवसर पर प्रतिभागियों को सम्बोधित किया जिसमें 11 राज्यों के 30 शारीरिक शिक्षकों ने भाग लिया ।

- दिनांक 05–09–2012 के शिक्षक दिवस के अवसर पर सभागार में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें अधिष्ठाता योजना प्रो0 प्रदीप आहलूवालिया, डॉ0 नरेन्द्र सिंह बिष्ट और प्रो0 सुदर्शना राणा ने अध्यापक दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला । इस कार्यक्रम में बहुत से शिक्षक उपस्थित हुए ।

- दिनांक 10–09–2012 को एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थन में "आध्यात्मिकता, हिमालय और संस्कृति" पर विशेष व्याख्यान दिया और इसी व्याख्यान के दौरान ही हिमालयन स्टडी सर्कल को दोबारा आरम्भ किया गया । इसके समन्वयक श्री एन.एस. बिष्ट को मनोनीत किया गया ।

- दिनांक 11–09–2012 को विश्वविद्यालय कोर्ट और कार्यकारिणी परिषद के लिए (गैर शिक्षक संवर्ग) से वार्षिक चुनाव कराए गए । जिसमें कुल 967 में से 823 बोट पड़े ।
  कार्यकारिणी परिषद के लिए श्री देवी राम वर्मा तथा विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए श्री ललित कुमार निर्वाचित हुए ।

- दिनांक 12–09–2012 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र (इक्डोल) के पत्रकारिता विभाग द्वारा आयोजित आर.टी.आई. कार्यशाला में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त श्री भीम सेन के अतिरिक्त पंजाब के राज्य सूचना आयुक्त श्री सुरेन्द्र अवस्थी, हिमाचल के राज्य सूचना आयुक्त श्री के.डी. बातिश, हिप्पा के डॉ0 गोपाल संघाईक शामिल हुए । इस कार्यशाला का विषय (सूचना का अधिकार– लोकतन्त्र की मजबूती का आधार) था ।

- दिनांक 14–09–2012 को हिन्दी दिवस के अवसर पर हिन्दी विभाग में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हिन्दी भाषा की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई ।

मैं कुलसचिव से निवेदन करूंगा कि आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद के सम्मुख चर्चा के लिए प्रस्तुत करें ।

मद संख्या:2: कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठक दिनांक 02–07–2012, 21–07–2012 तथा 14–08–2012 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण।

......

कार्यकारिणी परिषद ने पिछली बैठकों दिनांक 02–7–2012, 21–07–2012 तथा 14–08–2012 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण कर दिया ।

मद संख्या:3: कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठक दिनांक 2–07–2012, 21–07–2012 तथा 14–08–2012 में लिए गए निर्णय पर की गई कार्यवाही का विवरण
(संलग्नक –क, ख, ग) ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 2–07–2012, 21–07–2012 तथा 14–08–2012 तथा को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही को निम्नलिखित टिप्पणी के साथ अनुमोदित किया :–

दिनांक 02–07–2012:

(मद संख्याः 5): माननीय प्रो. सुरेश कुमार ने यह मामला कार्यकारिणी परिषद के सम्मुख रखा कि जिन शिक्षकों को विभागाध्यक्ष मनोनीत किया जाता है वह अवकाश के दौरान भी विश्वविद्यालय में रहते हैं तथा उनको इसकी एवज में कोई भी अवकाश नहीं दिया जाता। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया गया है । इस पर यह निर्णय लिया गया कि मामले का परीक्षण कर इसे परिषद के समक्ष रखा जाए ।

(मद संख्या :9): कार्यकारिणी परिषद ने जांच समिति द्वारा सौंपी गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए श्री इन्द्र सिंह डोगरा, भूतपूर्व सुरक्षा अधिकारी के मामले को निपटाने का निर्णय लिया।

(मद संख्या:11): इसका निर्णय मद संख्या 20 के अन्तर्गत देखा जाए ।

(मद संख्या :13): क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र, धर्मशाला के लोक प्रशासन विभाग में सृजित पदों में से एक पद अस्थाई रूप से बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए परिवर्तित किया गया है तथा इस विभाग को बन्द करने का अभी कोई विचार नहीं है । यदि विभाग को बन्द करना होगा तो इसकी सिफारिशें बोर्ड ऑफ स्टडीज के माध्यम से शैक्षणिक परिषद में रखी जाएंगी।

(मद संख्या : 17) : श्री देवी राम वर्मा, माननीय सदस्य, कार्यकारिणी परिषद ने एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के खाली पदों के विरूद्ध समायोजित करने का अनुरोध किया। जिस पर कार्यकारिणी परिषद ने यह निष्कर्ष निकाला कि इसका परीक्षण किया जाए।

(मद संख्या: अन्य मद–VI): विधि विभाग में अध्ययनरत श्री अजय कुमार सुपुत्र श्री ओम चन्द के मामले में परीक्षा शाखा की गलती पर परीक्षा नियन्त्रक द्वारा सम्बन्धित को **कारण बताओ नोटिस जारी** किये थे जिसके उत्तर में सर्वश्री जगदीश चन्द शर्मा, अनुभाग अधिकारी, ललित किशोर शर्मा, सेवानिवृत्त(अधीक्षक निसंवर्ग), हेम चन्द, वरिष्ठ सहायक तथा रमेश चन्द वर्मा, कनिष्ठ सहायक, स्नातक तृतीय वर्ष द्वारा दिए गए उत्तरों का अवलोकन कर कार्यकारिणी परिषद इन्हें संतोषजनक पाया और निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

<u>दिनांक 14—08—2012:</u>

<u>(मद संख्याः 4) :</u> माननीय सदस्य श्री एन.एस.बिष्ट द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं अध्ययन केन्द्र में बी.एड. प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता सामान्य वर्ग 50 प्रतिशत करने पर यह संज्ञान लिया गया कि एन.सी.टी.ई. द्वारा तय निर्धारित शर्तों पर बी.एड. में प्रवेश के लिए तय न्यूनतम पात्रता सामान्य वर्ग के लिए 55 प्रतिशत और अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के लिए 5 प्रतिशत छूट है। अतः कार्यकारिणी परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं अध्ययन केन्द्र में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित शर्तों पर ही बी.एड. अभ्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु अनुमोदित किया ।

<u>मद संख्याः4 :</u> कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा—12—सी (7) के अन्तर्गत लिए गए निर्णय से अवगत करवाना।

.....

उपरोक्त शक्ति के अन्तर्गत कुलपति महोदय ने कोई कार्यवाही नहीं की है ।

<u>मद संख्या :5:</u> कार्यकारिणी परिषद के माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है।

....

कार्यकारिणी परिषद के माननीय सदस्यों से निर्धारित समय के भीतर कोई मद प्राप्त नहीं हुई।

<u>मद संख्याः 6:</u> हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्यादेश 36.23 में संशोधन बारे मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमति प्राप्त करने हेतु।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्रावधान 36.23 (sabbatical leave) में सरकार द्वारा सुझाए गए संशोधन को अनुमोदित किया ।

मद संख्याः 7: लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा छायाकार के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की अधिसूचनाएं संख्याःलोक–अ(3)–6/87 दिनांक 17–3–1989 व संख्या पब–ए–(3)–54/99 दिनांक 30–3–2000 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अपनाने के लिए मामला कार्यकारिणी परिषद में भेजने बारे।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने छायाकार के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचनाओं को विश्वविद्यालय में अपनाने हेतु **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्याः8: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर स्टाफ सर्विस (भर्ती एवं पदोन्नति एवं निश्चित सेवा शर्तों) नियम, 2010 में समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधन करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

......

कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर स्टाफ सर्विस (भर्ती एवं पदोन्नति एवं निश्चित सेवा शर्तों) नियम, 2010 को हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरूप **संलग्नक** के अनुसार अनुमोदित किया ।

मद संख्याः9: कार्यकारिणी परिषद की दिनांक 17–5–2012 की बैठक में मद संख्या 11 के अन्तर्गत गठित समिति की सिफारिश प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 17–5–2012 की बैठक में मद संख्या 11 के अन्तर्गत गठित समिति की सिफारिशों पर गहन विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया कि जिन प्रोग्रामरों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान में समय–समय पर नियुक्त किया गया था उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी संशोधित वेतनमान 15600–39100+6000 AGP दिनांक 01–01–2006 से प्रदान किया जाए ।

परिषद ने आगे यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में प्रोग्रामरों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया वेतनमान ही दिया जाएगा ।

यन्त्र अभियन्ता जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान में नियुक्त किए गए थे उन्हें 01–01–2006 से 28–3–2009 के कार्यकाल के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वेतनतान 15600–39100+6000 AGP प्रदान करने की स्वीकृति दी ।

मद संख्या:10: कार्यकारिणी परिषद द्वारा अपनी बैठक 17–5–2012 मद संख्या 13 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा मामले में की गई कार्यवाही को कार्यकारिणी में मामला रिपोर्ट करने बारे।

.....

माननीय सदस्य श्री एन.एस. विष्ट ने कहा कि कृषि आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों में से केवल 19 कर्मचारियों को ही विश्वविद्यालय में विलय किया गया है जबकि सृजित पद इससे अधिक हैं । इस पर कार्यकारिणी परिषद ने यह निर्णय लिया कि सभी सृजित पदों का विश्वविद्यालय में विलय कर मामला परिषद के समक्ष रिपोर्ट किया जाए ।

मद संख्या:11: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष आचार्य जगत भूषण नड्डा की सेवाओं को हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग के अधनी एवं उनके पक्ष में अध्यादेश 36.4(डी.) के प्रावधान के अन्तर्गत लोक हित में तीन वर्ष की अवधि के लिए असाधारण अवकाश प्रदान करने हेतु।

......

अनुमोदित । माननीय सदस्य प्रो. सुरेश कुमार ने परिषद के समक्ष यह मामला उठाया कि अध्यादेश 36.4(डी.) में संशोधन करने हेतु नीतिगत निर्णय लिया जाए। जिस पर परिषद ने निम्नलिखित समिति गठित की :

1. प्रो. सुरेश कुमार –अध्यक्ष
2. प्रो. ओ.पी.चौहान –सदस्य

3. प्रो. श्रीराम शर्मा —सदस्य
4. श्री एन.एस. बिष्ट —सदस्य
4. श्री के0डी0 शर्मा —संयोजक

मद संख्या:12: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष डॉ. पुरूषोत्तम भारद्वाज को उनकी नियुक्ति की तिथि से वित्तीय लाभ देने सम्बन्धी प्रकरण पर ली गयी कानूनी सलाह को विचारार्थ हेतु।

....

कार्यकारिणी परिषद ने डॉ. पुरूषोतम भारद्वाज को विश्वविद्यालय में वित्तीय लाभ देने सम्बन्धी प्रकरण को मामले में ली गई कानूनी सलाह **(संलग्नक)** के अनुरूप नियुक्ति की तिथि से अनुमोदित किया ।

मद संख्या:13: कृषि अर्थ अनुसन्धान केन्द्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को कृषि अर्थ अनुसन्धान एवं ग्रामीण विकास विभाग के रूप में स्थापित।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने इस सम्बन्ध में अन्य विश्वविद्यालय जहां पर कृषि अर्थ अनुसन्धान केन्द्र हैं को किन आधार पर और किस तरह विभाग/केन्द्र में स्थापित किया गया है का ब्यौरा मंगवा कर कृषि अर्थ अनुसन्धान केन्द्र को विभाग/केन्द्र में स्थापित करने हेतु कार्यवाही करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या:14: सांध्य अध्ययन केन्द्र में रिक्त पदों में से एक गणित और एक वाणिज्य पदों को हिन्दी विषय में परिवर्तित करने हेतु विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मद।

.....

प्रो0 सुरेश कुमार, माननीय सदस्य ने कार्यकारिणी परिषद का ध्यान कुछ वर्ष पहले वाणिज्य विषय के एक आरक्षित पद को भर्ती प्रकिया के समय सामान्य वर्ग में परिवर्तित करने की ओर दिलाया जिसे आज तक नहीं भरा गया है । अतः कार्यकारिणी परिषद ने इस मद को कार्यसूची से बाहर कर दिया ।

मद संख्या:15: श्री पी.एन. भारद्वाज उप कुलसचिव.(सेवानवृत) के पक्ष में कार्यकारी परिषद की दिनांक 15—02—2007 की बैठक में प्रस्ताव संख्या—8 के निर्णयानुसार आयकर विभाग द्वारा लगाई गई 33,578/—रुपए की ब्याज के रूप में राशि वसूलने के पुनर्विचार एवं निर्णय को वापिस लेने बारे ब्यौरा कार्यकारिणी परिषद की आगामी बैठक में रखने हेतु।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने गहन विचार—विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि मामले का एक बार फिर प्रशासनिक तौर पर परीक्षण करने के पश्चात इस पर निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को प्राधिकृत किया ।

...

मद संख्या:16: प्रदेश सरकार से प्राप्त अधिशासी अभियन्ता(सिविल),वर्ग—। के भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2012 की अधिसूचना संख्या 1—17/75—पी.बी. डब्ल्यू—11 दिनांक 3 अगस्त, 2012 को विश्वविद्यालय में अपनाने हेतु कार्यकारिणी की अनुमति के प्रस्तुत है।

......

कार्यकारिणी परिषद ने अधिशासी अभियन्ता(सिविल),वर्ग—। के भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2012 को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या:17: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा स्थित केन्द्रीय विज्ञान कार्यशाला में खाली पड़े ग्रेड—।। के 7 पदों में से चार ग्रेड—।।। में परवर्तित (convert) करने हेतु एवं श्री राजिन्द्र सिंह तकनीशियन को केन्द्रीय विज्ञान कार्यशाला के तकनीशियन ग्रेड—।।। के पद पर अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त करने बारे।

......

कार्यकारिणी परिषद ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थित केन्द्रीय विज्ञान कार्यशाला में खाली पड़े ग्रेड—।। के 7 पदों में से चार पद ग्रेड—।।। में परवर्तित करने हेतु अनुमोदित किया परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि श्री राजिन्द्र सिंह तकनीशियन ग्रेड—।।। को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति देना परिषद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ।

मद संख्या:18: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग में खाली पड़े तकनीशियन सहायक ग्रेड–।। के पद को ग्रेड–।।। में परवर्तित (Convert) करने हेतु एवं श्री दुनी चन्द तकनीशियन सहायक ग्रेड–।।। के पद पर अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त करने बारे।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थित केन्द्रीय विज्ञान कार्यशाला में खाली पड़े ग्रेड–।। के 7 पदों में से चार पद ग्रेड–।।। में परवर्तित करने हेतु अनुमोदित किया परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि श्री दुनी चन्द तकनीशियन सहायक ग्रेड–।।। को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति देना परिषद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ।

मद संख्या:19: निर्माण मण्डल में राजमिस्त्री(Mason Grade-II) के एक रिक्त पद को बढ़ई (Carenter Garde-I) में परिवर्तित करने का मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

......

अनुमोदित ।

...

मद संख्या:20: अमित कुमार पुत्र श्री खेम राज, एम.एड. भाग–2 परीक्षा रोल नं. 66430 को अध्यादेश 6.72 के अन्तर्गत अप्रैल,2011 की परीक्षा देने के लिए अयोग्य ठहराने तथा अध्यादेश 6.73 के अन्तर्गत परीक्षा परिणाम निरस्त करने के लिए मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

......

कार्यकारिणी परिषद ने श्री अमित कुमार, एम.एड .भाग–2 रोल नं. 66430 के निजी सम्पर्क कार्यक्रम (पी.सी.पी.) की शर्त को उपेक्षित करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या:21: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष डॉ. रणवीर सिंह तथा डॉ. सीएस.वैध अनुसंधान अधिकारियों (सीनियर स्केल) को कैरियर एडवांस मैट स्कीम

के अन्तर्गत अनुसंधान अधिकारी (सलैक्शन ग्रेड) की पदोन्नति के अनुमोदन हेतु।

......

कार्यकारिणी परिषद ने मामले का परीक्षण करने तक निर्णय लेने हेतु कुलपति को अधिकृत किया ।

मद संख्या:22: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 07–09–2012 की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया तथा मद संख्या–9 के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया कि सम्पादक के पद को प्रतीक्षा सूची में से भरा जाए ।

मद संख्या:23: श्री हीरा नन्द शर्मा, सहायक कुलसचिव, सेवानिवृत्त के मामले में कार्यकारिणी परिषद द्वारा गठित समिति की कार्यवाही/ रिपोर्ट परिषद के सन्मुख अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

......

संलग्नक के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या:24: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा खेलकूद के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक पाने वाले तथा भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु पत्र संख्या एफ–2–1/2010/(11वीं योजना) दिनांक 13–8–2012 को कार्यकारी परिषद द्वारा अपनाने हेतु।

......

संलग्नक के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या:25: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला तथा तकनीकी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दिनांक 01–01–2006 से प्रदान करने हेतु प्रस्ताव।

......

कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला तथा तकनीकी कर्मचारियों को पंजाब विश्वविद्यालय पद्धति पर **संलग्नक** के अनुरूप संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया ।

मद संख्या:26: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को सचिवालय भत्ते के स्थान पर सचिवालय वेतन प्रदान करने हेतु।

....

कार्यकारिणी परिषद ने मामले पर कोई कार्यवाही न करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या:27: प्रदेश सरकार से प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), वर्ग–3 के भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2012 की अधिसूचना संख्या पीबीडब्ल्यू–एबी(2)–123/2004–1 दिनांक 25 अगस्त, 2012 को विश्वविद्यालय में अपनाने हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद की अनुमति के लिए प्रस्तुत है।

......

संलग्नक के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या:28: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष डा. अरविन्द भट्ट, सहायक आचार्य जैव प्रौद्योगिक विभाग के पक्ष में प्रवर एवं प्रवरण वेतनमान (संशोधित वेतनमान में स्टेज–2 एवं स्टेज–3) में स्थानापन/पदोन्नति हेतु छानबीन समिति द्वारा की गई संस्तुति/निर्णय को रखने सम्बन्धी।

.....

डॉ. अरविन्द कुमार भट्ट द्वारा राज्य सरकार में 1–1–2002 से 30–6–2011 तक लोकहित में प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा को मध्यनजर रखते हुए उनके पक्ष में प्रवरण एवं प्रवरण वेतनमान/स्टेज–2 एवं स्टेज–3 में स्थानापन/पदोन्नति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित/अधिसूचित

मानदण्डों अर्थात वांछित संख्या में रिफ्रेशर/ओरियनटेशन कोर्स एवं self appraisal reports/API score की अनिवार्यता में छूट देने की अनुमति प्रदान की ।

अन्य मदें :

मद संख्या– I : माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के द्वारा पारित सीडब्ल्यूपी संख्याः 7610 के 2012–ए शीर्षक श्री दलीप कुमार शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं अन्य के आदेश को कार्यकारिणी परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना।

......

माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार Performing Arts (Instrumental Tabla) विषय में सहायक आचार्य पद की सिफारिश को कार्यकारिणी परिषद ने अनुमोदित किया और लिफाफा सीलबंद कर दिया गया।

मद संख्या –II: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की पीएच.डी. डिग्री का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु।

......

माननीय कुलपति द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुसार अनुमोदित किया ।

मद संख्या–III: विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित करने हेतु।

......

कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में उनके ज्ञापन को मध्यनजर रखते

हुए यह निर्णय लिया कि यह शिक्षक स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत अनुबन्ध पर रखे गए थे तथा सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना के अनुसार केवल वही अनुबन्ध कर्मचारी/शिक्षक आदि 6 साल के कार्यकाल के बाद नियमित किए जा सकते हैं जिनके लिए नियमित आधार पर पद सृजित हो तथा इस सम्बन्ध में गठित समिति की सिफारिशों के मध्यनजर नियमित वेतनमान प्रदान किया जा सकता है जो संस्थान की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा क्योंकि विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में भविष्य में भी कोई दायित्व नहीं ले सकता । परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि संस्थान में शिक्षकों के नियमितीकरण हेतु पद सृजन करने के लिए मामला वित्त समिति के समक्ष रखने के लिए प्रकिया प्रारम्भ की जाए ।

मद संख्या –IV: विश्वविद्यालय में सिटीजन चार्टर को कार्यान्वयन करने हेतु।

......

माननीय श्री संजय मूर्ति, सचिव शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यकारिणी परिषद के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि प्रदेश सरकार ने लोगों को समयबद्ध सुविधा प्रदान करने हेतु सिटीजन चार्टर कार्यान्वित किया है तथा विश्वविद्यालय में भी इस प्रकार का कार्य होना चाहिए ।

माननीय श्री सुरेश भारद्वाज, विधायक ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय का कार्य अलग से है इसलिए इस मामले का परीक्षण कर इसे परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।

.

मद संख्या –V: केन्द्रीय छात्र संगठन तथा अन्य छात्र संगठनों के से प्राप्त ज्ञापन ।

....

विभिन्न छात्र संगठनों से प्राप्त ज्ञापनों पर चर्चा की गई तथा यह निष्कर्ष निकला कि सभी संगठनों के छात्रों ने ज्ञापनों में बसों के किराये तथा छात्रावासों में दिये जाने वाले आहार को लेकर ही अपनी समस्याएं उठाई है। अतः

कार्यकारिणी परिषद ने यह निष्कर्ष निकाला कि छात्रों को बसों के किराये में छूट देने तथा छात्रावासों में दिये जाने वाले आहार के मामले सम्बन्धित गठित समितियों को भेजे जाएं ।

<u>मद संख्या –VI:</u> गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों को क्रमोन्नत करने हेतु।

......

माननीय सदस्य श्री देवी राम वर्मा, ने गैर शिक्षक कर्मचारियों की क्रमोन्नति का मामला पुरजोर तरीके से उठाते हुए कहा कि गैर–शिक्षक कर्मचारी **शिकायत निवारण समिति** ने वर्ष 2006 में यह सिफारिश की थी जिन कर्मचारियों का 20 साल का सेवाकाल पूर्ण हो चुका है उन्हें अधीक्षक तथा जिन कर्मचारियों का 30 साल का सेवाकाल पूरा हो चुका है को अनुभाग अधिकारी बना दिया जाना चाहिए। इस उपलक्ष्य में दो उप कुलसचिव, चार सहायक कुलसचिव, 47 अनुभाग अधिकारी, 79 अधीक्षक और 5 अंशुलिपिक श्रेणी के कर्मचारियों को कार्यकारिणी परिषद द्वारा क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी तक यह निर्णय कार्यान्वित नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में चर्चा के दौरान यह तथ्य भी रखे गए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय द्वारा कर्मचारी को अपने सेवाकाल में कम से कम दो पदोन्नतियां देने का निर्णय लिया था जिसके आधार पर Assured Progression Scheme सरकार द्वारा लाई गई है।

कार्यकारिणी परिषद ने चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया कि यह मामला वित्त समिति से सम्बन्धित है तथा इस पर माननीय कुलपति महोदय ने आश्वासन दिया कि मामले

को वित्त समिति के समक्ष रखने के लिए इसकी बैठक जल्द से जल्द करवाने की कोशिश की जाएगी ।

मद संख्या–VII: प्रदेश सरकार द्वारा 9 नए महाविद्यालय खोलने पर छात्रों प्रवेश हेतु छूट देने के लिए मामला प्रस्तुत किया गया।

......

डॉ. दिनकर बुराठोकी माननीय सदस्य एवं शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यकारिणी परिषद को यह सूचित किया कि प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में 9

सरकारी महाविद्यालय स्थापित किए हैं, जिनमें स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु छात्रों को कुछ समय देना होगा। इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी परिषद को यह सूचित किया गया कि इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रवेश में छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी ।

श्री संजय मूर्ति माननीय सदस्य कार्यकारिणी परिषद एवं शिक्षा सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यकारिणी परिषद को यह सूचित किया कि भारत सरकार वोकेशनल स्टडीज के लिए विशेष योजना तैयार की है जिसके लिए प्रदेश सरकार भी विभिन्न महाविद्यालय में वोकेशनल पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है क्योंकि इसमें बहुत ही रोजगारों की सम्भावना जताई गई है। कार्यकारिणी परिषद ने मामले का परीक्षण करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की :–

1. डॉ. दिनकर बुराठोकी, शिक्षा निदेशक, हि.प्र. सरकार	–अध्यक्ष
2. प्रो. पी.के. आलुहवालिया, अधिष्ठाता योजना	–सदस्य
3– डॉ0 धनी राम शर्मा सदस्य कार्यकारिणी परिषद	–सदस्य
4– श्री एन.एस. बिष्ट, सदस्य कार्यकारिणी परिषद	–सदस्य
5– प्रो. सी.एल. चन्दन, निदेशक, हि.प्र.वि. व्यवसाय स्कूल	–सदस्य

6– डॉ. बी.एल. विन्टा, –सदस्य
सदस्य कार्यकारिणी परिषद
7– श्री वी.के. वोहरा –संयोजक
योजना एवं विकास अधिकारी

कार्यकारिणी परिषद ने शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति हेतु गठित समिति की सिफारिशों पर विचार–विमर्श के पश्चात इसे **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया । परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि सम्बन्धित विभागाध्यक्ष शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति करने के लिए अपनी अनुशंसाएं कुलपति महोदय को प्रेषित करेंगे ।

कार्यकारिणी परिषद ने निर्णय लिया कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार 40% और इससे अधिक विकलांगता वाले विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क (Tuition fee) न लिया जाए, और इसे विश्वविद्यालय में अपनाकर विश्वविद्यालय अध्यादेश में आवश्यक संशोधन किया जाए।

माननीय कुलपति ने कार्यकारिणी परिषद को सूचित किया कि भविष्य में विश्वविद्यालय में स्वामी दयानंद सरस्वती पीठ, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी पीठ तथा
डॉ0 वाई.एस. परमार पीठ को सक्रिय करना है जिसे कार्यकारिणी परिषद ने सहर्ष सहमति प्रदान की ।

माननीय कुलपति ने कार्यकारिणी परिषद को यह सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमन तथा अध्यादेशों के लिए जो समिति गठित की गई थी उसने अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करके तकरीबन 700 पृष्ठों की प्रति तैयार कर ली गई है जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यकारिणी परिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(सी.पी. वर्मा)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0 / –

(आचार्य ए.डी.एन. बाजपेयी)
कुलपति / सभापति